

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil First Appeal No. 112/2018

S.B. Civil First Appeal No. 85/2018

S.B. Civil First Appeal No. 86/2018

S.B. Civil First Appeal No. 87/2018

S.B. Civil First Appeal No. 114/2018

S.B. Civil First Appeal No. 115/2018

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आदित्य शर्मा एवं श्री मनीष शर्मा।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्रीमती सुरुचि कासलीवाल।

:: आदेश ::

20.08.2018

अपीलार्थी की ओर से अपील संख्या—**112/2018** एवं अपील संख्या—**114/2018** को प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करने के क्रम में प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र संख्या—**334/2018** एवं **335/2018** अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों व आधारों को ध्यान में रखते हुए उक्त विविध प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अपील को मियाद में माना जाता है।

अभिलेख तलब हो।

पत्रावली चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/—